या पाइप लाइन के मरम्मत कार्य मे लगा हो अथवा जो इस मरम्मत कार्य में लगने वाला हो ;

(ख) निम्न कार्य में लगा हो-

(i) सर्वेक्षण मे,

(ii) किसी सरकारी विभाग के प्राधिकार के अन्तर्गत निरीक्षण में, अथवा

(iii) उक्त अभिहित क्षेत्रों मे किसी संस्थापन को या उससे व्यक्तियों या मालों के परिवहन मे;

(ग) परिवहन मंत्रालय के प्राधिकार के अन्तर्गत नौवहन सुरक्षा से संबंधित कर्त्तव्यों में लगा हो ;

(घ) समुद्र में जीवन या सम्पत्ति को बचाने अथवा बचाने के प्रयास की दृष्टि से गतिविधियों के संचालन में लगा हो ।

[सं. एफ. एल. 111/2/94]

टी. एल. गिल, निदेशक (विधि एवं संधि प्रभाग)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 1999

S.O. 463(E).— In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (5) of section 6 and sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (6) of section 7 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976), the Central Government hereby prohibits the entry of any ship within the designated areas as declared under the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs number S.O. 643(E) dated the 19th September, 1996 except Indian Naval ships and Coast Guard ships or other ships which are authorised in writing by the Secretary to the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas or any competent authority notified by him in this regard.

2. The prohibition contained in paragraph 1 shall not apply to a ship -

(a) engaged or about to be engaged in the repair of any submarine cable or pipeline in or adjacent to the said designated areas;

(b) engaged in -

(i) services for,

(ii) inspection under the authority of a Government Department or,

(iii) the transportation of persons or goods to or from,

an installation in the said designated areas;

(c) engaged in duties relating to the safety of navigation under the authority of the Ministry of Transport;

(d) carrying out movements with a view to saving or attempting to save life or property at sea.

[No. F. L-111/2/94]
T. L. GILL, Director (Legal and Treaties)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून,1999

का. आ. 464(अ).— केन्द्रीय सरकार राज्य क्षेत्रीय सागर तथा महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम,1976 (1976 का 80) की धारा 6 की उपधारा (6) के खण्ड (ख) और धारा 7 की उपधारा (7) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेल क्षेत्र विनियम और विकास अधिनियम 1948 (1948 का 53) तथा उसके अधीन बनाए गए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 का विस्तार यथास्थिति भारत के महाद्वीपीय मग्नतट भूमि या अनन्य आर्थिक क्षेत्रों तक करती है ।

[सं. एल. 111/13/97]
टी. एल. गिल, निदेशक (विधि एवं संधि प्रभाग)